



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

21 श्रावण, 1943 (श०)

संख्या-415 राँची, गुरुवार,

12 अगस्त, 2021 (ई०)

### कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

-----

#### अधिसूचना

11 अगस्त, 2021

**संख्या:-12/विविध-04-05/2017का० 3878--** झारखंड सचिवालय लिपिकीय सेवा संवर्ग नियमावली, 2010 के नियम-15 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियुक्ति प्राधिकार पूर्व निर्गत कार्मिक विभागीय अधिसूचना संख्या-13755 दिनांक-15.12.2012 में निम्नांकित संशोधन करते हैं:-

(1) अधिसूचना सं०-13755 दिनांक-15.12.2012 के विभागीय परीक्षा के कंडिका-02 का प्रावधान जो निम्नवत् है-

"विभागीय परीक्षा में कम्प्यूटर पर टंकण एवं कम्प्यूटर कार्य दक्षता का परीक्षण किया जायेगा। उम्मीदवारों को हिन्दी में 30 (तीस) शब्द प्रति मिनट की गति से 300 शब्दों को 10 मिनट में कम्प्यूटर पर टंकित करना होगा। इसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए डेढ़ प्रतिशत से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उन्हें विभागीय परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित किया जायेगा" के स्थान पर निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है-

"विभागीय परीक्षा में कम्प्यूटर पर टंकण एवं कम्प्यूटर कार्य दक्षता का परीक्षण किया जायेगा। उम्मीदवारों को हिन्दी में 25 (पच्चीस) शब्द प्रति मिनट की गति से 250 शब्दों को 10 मिनट में

कम्प्यूटर पर टंकित करना होगा । इसमें उत्तीर्णता प्राप्त करने के लिए 02 (दो) प्रतिशत से अधिक गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उन्हें विभागीय परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित किया जायेगा ।"

(2) कार्मिक विभागीय अधिसूचना संख्या-13755 दिनांक-15.12.2012 इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे तथा शेष अंश यथावत् रहेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**चन्द्रभूषण प्रसाद,**  
सरकार के उप सचिव ।

-----